वित्तीय स्वीकृति/स्पीड पोस्ट

संख्या: 17/2016/305प्रो0/51-2016-14(28)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शाहजहांपुर ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2016

विषय:- जनपद-शाहजहांपुर में भ्रमण पर आये हुए राज्य अतिथि के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 350/ए0आर0ए0/वी0आई0पी0, दिनांक 01 फरवरी, 2016, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथि के परिवहन से संबंधित पार्श्वांकित देयक के भुगतान हेतु धनराशि **रूपये 6,978/- (रूपये छः हजार नौ सौं अठ्त्तर मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते है।

श्री रामशंकर कठेरिया जी, मा0 मंत्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
दिनांक 23-12-2015 से 24-12-2015 तक
वाहन संख्या-यू0पी0-32, बी0 एन0-5931,
देयक संख्या- बीएलबाई/एम/220 बिल,
दिनांक 27-12-2015 रू0 6,978/-

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किया जा रहा है ।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक: 01 मूलदेयक ।

भवदीय

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या: 17/2016/305(1)प्रो/51-2016-14(28)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, शाजहांपुर ।
4- प्रबन्ध निदेशक , उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, बरेली ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव A

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।